



नर्सिंग, प्रसूतविद्या और दंत चिकित्सा में सुधार के लिये स्वास्थ्य देखभाल वधियक

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतविद्या आयोग (NNMC) वधियक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग वधियक

मेन्स के लिये:

अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्त्व, नर्सिंग, प्रसूतविद्या और दंत चिकित्सा से संबंधित चुनौतियाँ, सरकारी पहलें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतविद्या आयोग (National Nursing and Midwifery Commission- NNMC) वधियक, 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग वधियक, 2023 पारित किया।

- इन वधियकों का उद्देश्य मौजूदा अधिनियमों को नरस्त कर विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतविद्या आयोग वधियक, 2023:

परचिय:

- NNMC वधियक एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल कानून है जिसका उद्देश्य भारत में नर्सिंग और प्रसूतविद्या के क्षेत्र में सुधार एवं वसितार करना है।
- इसके तहत नर्सिंग और प्रसूतविद्या पेशेवरों के लिये एक नयामक नकिय के रूप में राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतविद्या आयोग की स्थापना करने का नरिणय लयिा गया है।
- भारतीय नर्सिंग काउंसलि अधनियम, 1947 काफी पुराना है और नर्सिंग तथा प्रसूतविद्या पेशे की वर्तमान ज़रूरतों एवं मांगों के अनुरूप नहीं है। इसलिये शकिषा, प्रशकिषण, अभ्यास एवं सेवा मानक के मामले में पछिले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण वकिस को देखते हुए इसमें सुधार कयिा गया है।

मुख्य वशिषताएँ:

राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूतविद्या आयोग:

संरचना:

- इसमें 29 सदस्य होंगे।
- नर्सिंग और प्रसूतविद्या में सनातकोत्तर डगिरी और 20 वर्षों के अनुभव के साथ अध्यकष।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण वभिाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सैन्य नर्सिंग सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा महानदिशालय के पदेन सदस्य।
- नर्सिंग और प्रसूतविद्या पेशेवरों तथा धर्मारथ संस्थानों के अन्य सदस्य।

कार्य:

- नर्सिंग और प्रसूतविद्या हेतु शकिषा के लिये नीतयिाँ बनाना तथा मानकों को वनियमति करना।
- नर्सिंग और प्रसूतविद्या संस्थानों के लिये एक समान प्रवेश प्रक्रयिा नरिधारति करना।
- नर्सिंग और प्रसूतविद्या संस्थानों को वनियमति करना।
- शकिषण संस्थानों में संबद्ध संकाय के लिये मानक स्थापति करना।

स्वायत्त बोर्ड:

- नर्सिंग और प्रसूतविद्या सनातक एवं सनातकोत्तर शकिषा बोर्ड: इसका कार्य सनातक और सनातकोत्तर स्तर पर शकिषा तथा परीकषा को वनियमति करना है।
- नर्सिंग और प्रसूतविद्या मूल्यांकन और रेटगि बोर्ड: यह नर्सिंग तथा प्रसूतविद्या संस्थानों के मूल्यांकन एवं रेटगि के लिये रूपरेखा

प्रदान करता है।

○ नर्सिंग और प्रसूत विद्या नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड: पेशेवर आचरण को वनियमिति करना तथा पेशे में नैतिकता को बढ़ावा देना।

■ राज्य नर्सिंग और प्रसूत विद्या आयोग:

○ इसका गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

○ इसमें स्वास्थ्य विभाग और नर्सिंग/प्रसूत विद्या कॉलेजों के प्रतिनिधियों सहित 10 सदस्य शामिल होंगे।

○ इसके कार्यों में पेशेवर आचरण लागू करना, राज्य रजिस्ट्रारों में डेटा दर्ज करना, विशेषज्ञता प्रमाण-पत्र जारी करना तथा कौशल-आधारित परीक्षा का आयोजन करना शामिल है।

■ संस्थाओं की स्थापना:

○ नए नर्सिंग और प्रसूत विद्या संस्थान स्थापित करने अथवा सीटें/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिये मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है।

○ अस्वीकृतिके मामले में राष्ट्रीय आयोग और केंद्र सरकार के पास अपील दायर करने की सुविधा उपलब्ध है।

■ एक पेशेवर के रूप में अभ्यास हेतु:

○ नर्सिंग या प्रसूत कार्य के लिये व्यक्तियों को राष्ट्रीय अथवा राज्य रजिस्ट्रार में नामांकित होना अनिवार्य है।

○ अनुपालन न करने पर कारावास अथवा जुर्माना हो सकता है।

■ सलाहकार परिषद:

○ यह नर्सिंग और प्रसूत विद्या शिक्षा, सेवाओं, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर राष्ट्रीय आयोग को सलाह एवं सहायता प्रदान करता है।

○ इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, आयुष मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं नर्सिंग/प्रसूत विद्याके पेशेवर प्रतिनिधि शामिल हैं।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग वधियक, 2023:

■ परिचय:

○ राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग वधियक भारत में दंत चिकित्सा के वनियमन और सुधार पर केंद्रित है।

■ मुख्य विशेषताएँ:

○ दंत चिकित्सा के पेशे को वनियमिति करने के लिये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (National Dental Commission- NDC) की स्थापना।

○ दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का नरिस्तीकरण।

प्रमुख बडि:

■ राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग :

○ संरचना:

● इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 33 सदस्यों के साथ किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित व अनुभवी दंत चिकित्सक द्वारा की जाएगी।

● इसके अध्यक्ष की नियुक्ति खोज-सह-चयन (Search-Cum- Selection) समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है।

● आयोग के पदेन सदस्यों में तीन स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, दंत चिकित्सा और शैक्षिक अनुसंधान केंद्र, एमस के प्रमुख शामिल हैं।

● अंशकालिक सदस्यों में सरकारी संस्थानों के दंत चिकित्सा संकाय और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

○ कार्य:

● दंत चिकित्सा शिक्षा, संस्थानों, अनुसंधान और बुनियादी ढाँचे को वनियमिति करना, साथ ही राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करना।

■ स्वायत्त बोर्ड:

○ स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड: इसका कार्य शिक्षा मानकों का निर्धारण, पाठ्यक्रम तैयार करना और दंत चिकित्सा संबंधी योग्यताओं को मान्यता देना है।

○ दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड: यह दंत चिकित्सा संस्थानों के लिये अनुपालन मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने, नए संस्थानों की स्थापना की अनुमति देने तथा निरीक्षण व रेटिंग का कार्य करता है।

○ नैतिकता और दंत चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड: यह दंत चिकित्सकों/दंत सहायकों के ऑनलाइन राष्ट्रीय रजिस्ट्रारों के रख-रखाव, लाइसेंस नलिनबन/रद्द करने और आचरण, नैतिकता तथा अभ्यास के दायरे के मानकों को वनियमिति करने के लिये उत्तरदायी है।

■ राज्य दंत चिकित्सा परिषद:

○ इसकी स्थापना आगामी एक वर्ष के भीतर की जानी है, जो रजिस्ट्रारों के रख-रखाव, शिकायतों के समाधान और प्रावधानों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।

■ प्रवेश परीक्षा:

○ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में प्रवेश के लिये NEET परीक्षा और लाइसेंसिंग तथा स्नातकोत्तर प्रवेश के लिये नेशनल एग्जिट टेस्ट (डेंटल) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

○ नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करने के बाद दंत चिकित्सा अभ्यास करने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है, लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले राज्य/राष्ट्रीय रजिस्ट्रार में पंजीकरण आवश्यक है।

■ दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद:

- इसका कार्य शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दंत चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुँच उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग को सलाह देना है ।
- इस आयोग के पदेन सदस्य परिषद के पदेन सदस्य होते हैं ।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/healthcare-bills-to-reform-nursing,-midwifery,-and-dentistry>

